सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
पिन:-272202

SIDDHARTHUNIVERSITY
Kapilvastu, Sidhharth Nagar
Pin -272202

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु से सम्बद्ध जनपदों के समस्त महाविद्यालयों में सम्यक् रूप से लागू करने की दृष्टि से जिला स्तर पर समन्वयन समितियों का गठन किया जाता है, उक्त समितियों से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार होंगीं -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 जिला समन्वयन समिति का स्वरूप-

1. एन0ई0पी0 जिला समन्वयन समितियों के जनपदवार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निम्नवत होंगे-

सिद्धार्थनगर-

अध्यक्ष - प्राचार्य, शिवपति, पी0जी0 कालेज, शोहरतगढ़।
उपाध्यक्ष- प्राचार्य, बुद्ध विद्यापीठ महाविद्यालय, नौगढ़।

बलरामपुर-

अध्यक्ष- प्राचार्य, एम0एल0के0 पी0जी0 कालेज, बलरामपुर।
उपाध्यक्ष- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पचपेड़वा, बलरामपुर।

बस्ती-

अध्यक्ष- प्राचार्य, शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती।
उपाध्यक्ष- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हर्रैया, बस्ती।

संतकबीर नगर-

अध्यक्ष - प्राचार्य, एच0आर0पी0जी0 कालेज, संतकबीर नगर।
उपाध्यक्ष- डॉ0 डी0एन0 पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफेसर एच0आर0पी0जी0 कालेज, खलीलाबाद।

महराजगंज-

अध्यक्ष- प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू पी0जी0, कालेज, महराजगंज।
उपाध्यक्ष- प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री स्मारक महाविद्यालय, फरेन्दा।

श्रावस्ती-

अध्यक्ष- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, श्रावस्ती।
उपाध्यक्ष- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, लंगड़ी गूलर, श्रावस्ती।

2. सभी जिला समन्वयन समितियों में सम्बन्धित जनपद के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।
3. जिला समन्वयन समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सिद्धार्थ विश्वविद्यालय एन0ई0पी0-2020 क्रियान्वयन बल के सदस्य होंगे, जो कि समय-समय पर बुलायी जाने वाली बैठकों में प्रतिभाग करेंगे।

उद्देश्य -

- जिला समन्वयन समिति का उद्देश्य जनपद के समस्त महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करना, प्रत्येक महाविद्यालय तक सूचनाओं का समुचित आदान-प्रदान करना, तत्सम्बंधित समस्याओं का त्वरित निदान खोजना तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी रखना होगा।

कार्य–

- जिला समन्वयन समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अथवा दोनो में से कोई एक विश्वविद्यालय के क्रियान्वयन बल की बैठकों में भाग लेंगे तथा उससे मार्गदर्शन लेंगे।
- जिला समन्वयन समिति के अध्यक्ष सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जनपदों के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की, जो कि समिति के सदस्य हैं, ऑनलाइन/ऑफलाइन बैठक बुलायेंगे और टास्कफोर्स के निर्णयों से उन्हें अवगत करायेंगे।
- बैठकों में सम्मिलित होने के लिये आने वाले प्राचार्यगण को मार्ग–व्यय इत्यादि की व्यवस्था अपने महाविद्यालयों से करनी होगी, विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें इस हेतु कोई मार्ग–व्यय नही दिया जायेगा।
- महाविद्यालयों के प्राचार्यगण उक्त बैठकों में लिये जाने वाले निर्णयों को अपने यहाँ लागू करायेंगे और अपने महाविद्यालयों में इस सम्बन्ध में हुयी प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसे विश्वविद्यालय को भेजा जायेगा।
- आवश्यकता होने पर मार्गदर्शन हेतु जिला समन्वयन समिति की बैठक में टास्कफोर्स के किसी सदस्य या किन्ही सदस्यों को बुलाया जा सकता है।
- एन0ई0पी0–2020 से सम्बन्धित अनेक गतिविधियों को महाविद्यालयों में अलग–अलग या संयुक्त रूप से संचालित करने सम्बन्धी योजनाओं का निर्धारण कर तदनुरूप उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही गतिविधियों से महाविद्यालय को जोड़ा जायेगा।

उपरोक्तानुसार गठित जिला समन्वयन समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसका अनुपालन सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

कुलसचिव

पत्रांक 1250/सि०वि०वि०/24 — दिनांक 26/08/24

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रो0 हरीशकुमार शर्मा, नोडल अधिकारी, एन0ई0पी0–2020 ।
2. प्राचार्य/प्राचार्या, वि0वि0 में सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित /स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।
3. वित्त अधिकारी, सि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. निजी सचिव, कुलपति जी को मा0 कुलपति जी को अवलोकानार्थ।
5. कोडिग प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन आई0डी0 पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. डॉ0 अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी, सि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
7. सहा0कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय सि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
8. सम्बन्धित पत्रावली में सुरक्षित हेतु।

कुलसचिव